एम्स व केन्द्रीय संस्थानों के विशेषज्ञों की टीम करेगी कोटा का दौरा, बनेगी नई एसओपी

कोटा, (निसं)। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मृत्यु के मामले को गंभीरता से लेते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कोटा के सीएडी सभागार में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, संभागीय आयुक्त अनिल अग्रवाल, जिला कलक्टर पीयूष समारिया, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जेके लोन अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों के अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे।

कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मृत्यु के मामले को गंभीरता से लेते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली है।

बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत और तथ्यात्मक जानकारी ली। जयपुर से आई जांच टीम द्वारा की गई कार्रवाई और अब तक उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की। बिरला ने कहा कि प्रसूताओं की मृत्यु बेहद संवेदनशील मामला है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे मामले की जवाबदेही तय की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सख्त एसओपी और प्रोटोकॉल तैयार किए जाएं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली एम्स और अन्य केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों की टीम कोटा-बूंदी के अस्पतालों का दौरा करेगी। यह टीम ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण के कारणों, सर्जरी प्रक्रिया और अस्पतालों की व्यवस्थाओं की गहन जांच करेगी। साथ ही कमियों को दूर करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट और आवश्यक एसओपी भी तैयार

■ चिकित्सा मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं-बिरला

करेगी। बिरला ने चिकित्सकों को सर्जरी के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। बिरला ने संभागीय आयुक्त को निर्देश दिए कि उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित कर जिले के सभी सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया जाए। समिति अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों, साफ-सफाई, नर्सिंग व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर कमियों को दूर करने का रोडमैप तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आमजन का विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है। बैठक में अस्पतालों की साफ-सफाई व्यवस्था मजबूत करने, नर्सिंग और इमरजेंसी सेवाओं को बेहतर बनाने तथा ईलाज में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए गए। साथ ही लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर उपचार मिल सके और आमजन का सरकारी अस्पतालों पर भरोसा बना रहे। बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ममता तिवाड़ी, आयुक्त नगर निगम ओ.पी.मेहरा, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ.धनंजय अग्रवाल, मेडिकल कॉलेज कोटा के प्राचार्य डॉ. निलेश जैन, जे के लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा, एमबीएस अधीक्षक डॉ.धर्मराज मीणा सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित थे।

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया

छबड़ा(निसं)। चिकित्सा क्षेत्र की रीढ़ मानी जाने वाली नर्सों के समर्पण और सेवा को सम्मान देने के लिए राजकीय उप जिला चिकित्सालय में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अस्पताल के समस्त स्टाफ ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं अस्पताल प्रभारी द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर की गई। इस दौरान पूरा अस्पताल परिसर नर्सिंग स्टाफ जिंदाबाद और सेवा परमो धर्म के नारों से गुंजायमान रहा। अस्पताल प्रभारी डॉ. हरिओम गोयल ने कहा डॉक्टर उपचार लिखते हैं, लेकिन एक नर्स अपने धैर्य और ममतामयी सेवा से मरीज को पुनर्जीवन देती है। कोरोना काल हो या कोई अन्य आपात स्थिति, हमारे नर्सिंग स्टॉफ ने हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर मिसाल पेश की है।

दीक्षांत समारोह का पूर्वाभ्यास किया

कोटा, (निसं)। कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का नवम् दीक्षांत समारोह13 मई, 2026 बुधवार को सुबह 11.00 बजे से राज्य कृषि प्रबंध संस्थान कोटा के सभागार में आयोजित किया जावेगा। इस समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु कुलगुरू डॉ.विमला डूंकवाल की अध्यक्षता में दीक्षांत समारोह का पूर्वाभ्यास कार्यक्रम मंगलवार को दोपहर बाद आयोजित किया गया।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक : LU2012/KOT/2026-27/101197 **लोक सूचना** दि.12.05.2026

श्री RAKESH VIJAY पुत्र श्री JAGDISH VIJAY जाति MAHAJAN निवासी SHRI HARNATH JI KI GALI KHAI ROAD, NAYAPURA, KOTA RAJASTHAN ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	भदाना, लाडपुरा (कोटा)	RAKESH VIJAY S/O JAGDISH VIJAY HISSA PURNA CASTE MAHAJAN SA DEH KHATEDAR	762	19500	1.95
				कुल	1.95

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12/05/2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कार्यालय (वि.) नगर निगम कोटा (राज0)

क्रमांकः- ननिको /वि0/2026/271-277 दिनांक : 08.05.2026

-: ई-निविदा सूचना :-

नगर निगम कोटा द्वारा किसी भी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी विभागों में निम्न कार्य को करने वाले अनुभवी संवेदकों से ई-निविदा पद्धती से ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्यो की अनुमानित राशि, निविदा बेचे जाने, प्राप्त करने, अन्य शर्ते एवं जानकारी निगम वेबसाईट http://kotamc.org.com, www.sppp.rajasthan.gov.in & https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

(कुल दो कार्यो की अनुमानित राशि 61.00 लाख रूपये)

1. NIB code DLB2627A1532 and
2. UBN is: DLB2627GLOB04118, DLB2627GLOB04119

अधिशाषी अभियंता (वि.) नगर निगम कोटा

राज.संवाद/सी/26/2536

KOTA BUS SERVICES LIMITED

Nagar Nigam, New Administrative Building Rajeev Gandhi Bhawan, Dushera Maidan, Kishor Pura, KOTA, E-mail: kbslcitybus@gmail.com

Ref. No. :- KBSL/NNK/2025-26/1334-1351 Date:- 07/05/2026

निविदा शुद्धिपत्र

के.बी.एस.एल कोटा द्वारा मंत्रालयिक कार्मिक, गार्ड एवं परिचालको की आपूर्ती हेतु ई बोली सूचना सं. 01/2025-26 निविदा क्रमांक KBSL/NNK/2025-26/1315-1322 दिनांक 05.05.2026 को जारी की गई थी। जिसमें निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है-

BOQ में कर्मचारीयों की संख्या 235 अंकित की गई है इसके स्थान पर 259 कर्मचारी (18 लिपिक, 6 गार्ड एवं 235 परिचालक) पढ़ा जावे, एवं BOQ में "सर्विस चार्ज प्रति श्रमिक प्रतिदिन संवेदक द्वारा अंकित किया जाने वाली दर सर्विस चार्ज न्यूनतम मजदूरी दर रूपये 25 रूपये जो ऋणात्मक व शून्य मान्य नही होगा" इसके स्थान पर "सर्विस चार्ज प्रति श्रमिक प्रति दिन (संवेदक द्वारा अंकित किये जाने वाली दर) सर्विस चार्ज दर रूपये.......... जो ऋणात्मक/शून्य मान्य नहीं होगी" पढ़ा जावे।

निविदा प्रकाशित दिनांक 05.05.2026 के स्थान पर 06.05.2026, निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 26.05.2026 को सांय 6.00 बजे के स्थान पर 28.05.2026 को सांय 6.00 बजे तक एवं तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 27.05.2026 को सांय 4.00 बजे के स्थान पर 29.05.2026 को सांय 4.00 बजे तक पढ़ा जावे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.बी.एस.एल कोटा

राज.संवाद/सी/26/2587

आबकारी विभाग की कार्रवाई, 11 हजार लीटर वॉश व 23 भट्टियां नष्ट

छबड़ा(निसं)। आबकारी विभाग की टीम द्वारा मंगलवार को लक्ष्मीपुरा गांव में अचानक दबिष दी गई। यहां तेईस हथकढ़ शराब बनाने की भट्टियां तोड़कर जमींदोज ड्रमो व बाहर रखे ड्रमो में भरी लगभग 11 हजार लीटर वॉश मौके पर नष्ट की गई। एक बाईक को जब्त कर दो आरोपियों को

लक्ष्मीपुरा गांव में अचानक दबिश देकर कार्रवाई की गई।

गिरफ्तार किया गया। प्रहराधिकारी मदनलाल मीणा के अनुसार जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र गिरि के निर्देशन एवं सहायक आबकारी अधिकारी नारायणसिंह तोमर के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में सात अभियोग दर्ज कर लगभग अस्सी लीटर हथकढ़ शराब बरामद व चार भट्टी जप्त की गई। कार्रवाई में प्रकाश आबकारी निरीक्षक छीपाबड़ौद, प्रमोद सिंह प्रहराधिकारी बारां, पृथ्वीराज प्रहराधिकारी कोटा दक्षिण, सुरेश प्रहराधिकारी झालावाड़, रामप्रकाश जमादार झालावाड, गोविन्द सिंह, कोटा सहित जाप्ता शामिल रहा।

'नीट रद्द होना 22 लाख से ज्यादा छात्रों और उनके परिवारों के सपनों पर चोट'

कोटा, (निसं)। वंदना कॅरियर इंस्टिट्यूट के डायरेक्टर तुषार दुबे ने कहा की नीट यूजी पेपर लीक सिर्फ परीक्षा नहीं, 22 लाख से भी ज्यादा छात्रों और उनके परिवारों के सपनों पर चोट है। सालों की मेहनत बार-बार भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। सरकार ने सख्त कानून की बात की थी, लेकिन अगर हर साल यही हो रहा है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अब आश्वासन नहीं, निष्पक्ष परीक्षा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो।

दोषियों को ऐसी सजा मिले की अगली बार कोई पेपर की तरफ आँख उठाकर भी न देखे तुषार दुबे ने कहा की नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होना उन लाखों छात्रों के लिए एक बड़ा झटका जिन्होंने दिन-रात मेहनत की थी सीबीआई जांच का निर्णय सही दिशा में एक कदम है, लेकिन बार-बार पेपर लीक और परीक्षाओं का रद्द होना युवाओं के भविष्य के साथ भारी खिलवाड़ है भ्रष्ट सिस्टम में सुधार आखिर कब होगा? नीट 2026 परीक्षा का रद्द होना यह दर्शाता है कि पेपर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी।

तुषार दुबे ने कहा की यह कहना आसान है कि बच्चों को फिर से मौका मिल जाएगा। लेकिन क्या किसी ने उन बच्चों की आंखों में झांककर देखा है, जिन्होंने दो-दो साल मोबाईल बंद कर दिए, घर की शादियों से दूर रहे, मां-बाप की कमाई से कोचिंग की फीस व अन्य खर्चे किए। ओर फिर परीक्षा-तंत्र की रीढ़ में लगी दीमक ने सबकुछ बर्बाद कर दिया। तुषार दुबे ने कहा की नीट में बैठने वाला बच्चा सिर्फ विद्यार्थी नहीं होता, वह भारत के अस्पतालों के भविष्य के संभावित डॉक्टर होता है। अगर डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी ही चोरी, रिसाव और अविश्वास से भीग जाए, तो यह सिर्फ बच्चों के साथ ही अन्याय नहीं, राष्ट्र के स्वास्थ्य भविष्य के साथ भी धोखा है। इसलिए इस बार सिर्फ परीक्षा नहीं दोहराई जाए, जिम्मेदारी भी तय हो। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दास्त नहीं किया जा सकता, इसलिए दोषीयों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो, केंद्र सरकार इसे गंभीरता से ले।

कार्यालय वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक, रीको, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या एफ-69, औ.क्षे. पर्यावरण, कोटा मैसर्स पी.पी. इण्डस्ट्रीज, प्रो. श्री राधेकांत शर्मा, का आवंटन दिनांक 19.06.2001 को व लीजडीड का निष्पादन दिनांक 21.03.2002 को करवाया गया। उक्त भूखण्ड के प्रोपराईटर श्री राधेकांत शर्मा थे, जिनका देहान्त दिनांक 23.05.2025 को हो चुका है तथा उनके वारिसान श्रीमती गीता शर्मा, श्रीमती पूजा शर्मा तथा श्री पुनीत शर्मा द्वारा श्रीमती गीता शर्मा के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 27.11.2025, मृत्यु प्रमाण पत्र, पार्षद वार्ड 5, नगर निगम दक्षिण द्वारा जारी वारिसानों के विवरण संबंधी पत्र, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधपत्र दस्तावेज प्रेषित कर इस भूखण्ड संख्या एफ-69, औ.क्षे. पर्यावरण, कोटा के लीजहोल्ड राईट्स श्रीमती गीता शर्मा पत्नी स्व. श्री राधेकांत शर्मा, निवासी 17, रावतभाटा रोड़, पोल्ट्री स्टेट, अकेलगढ़, कोटा, द्वारा स्वयं के पक्ष में हस्तान्तरण करने हेतु निवेदन किया गया है।

इस भूखण्ड संख्या एफ-69, औ.क्षे. पर्यावरण, कोटा के लीजहोल्ड राईट्स पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 27.11.2025, मृत्यु प्रमाण पत्र, पार्षद वार्ड 5, नगर निगम दक्षिण द्वारा जारी वारिसानों के विवरण संबंधी पत्र, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधपत्र के आधार पर श्रीमती गीता शर्मा के पक्ष में हस्तान्तरण की अग्रिम कार्यवाही अमल में लाये जाने के पूर्व इस आम सूचना के जरिये सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति/फर्म अथवा सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान अथवा वित्तीय संस्थान को भूखण्ड संख्या एफ-69, औ.क्षे. पर्यावरण, कोटा के हस्तान्तरण के सम्बंध में किसी प्रकार की यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय दस्तावेजी सबूत के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। कृपया विदित रहे कि दी गई मियाद निकलने के पश्चात् प्राप्त हुई किसी भी शिकायत/आपत्ति पर कोई गौर नही फरमाया जायेगा और नियमानुसार प्राप्त उपरोक्त अंकित आवेदन पत्र/दस्तावेजों पर इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार भूखण्ड के हस्तान्तरण की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक रीको, कोटा

आस्था महाविद्यालय इटावा, कोटा (राज.)

राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं कोटा विश्वविद्यालय, कोटा से समबद्ध

आवश्यकता

4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) हेतु

क्र.स.	पद	योग्यता
1	विभागाध्यक्ष (1 पद)	M.Ed.,NET/Ph.D (EDUCATION) EXP.8-10 YEAR
2	सहायक-आचार्य गणित, भौतिकी, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, इतिहास, भूगोल, राज. विज्ञान, अर्थशास्त्र (1-1 पद)	B.Ed./M.Ed,NET/Ph.D (SUBJECT/EDUCATION)
3	अंग्रेजी भाषा में सम्प्रेषणीय कौशल (2) पद) आ.भा.भा/शास्त्री/भाषाओं में सम्प्रेषणीय कौशल (2 पद) शैक्षिक अध्ययन- (4 पद)	M.Ed,NET/Ph.D (EDUCATION)
4	स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा (1 पद)	M.Ed,NET/Ph.D (EDUCATION)
5	कला शिक्षा (1 पद)	M.Ed,NET/Ph.D (EDUCATION)
6	कैरियर मार्गदर्शन तथा परामर्श- (1 पद)	M.Ed,NET/Ph.D (EDUCATION)
7	पुस्तकालयाध्यक्ष	M.Lib, NET/Ph.D

नोट- 1. उपरोक्त पदों हेतु इच्छुक अभ्यार्थी अपने आवेदन दिनांक 15.05.2026 तक व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा या ई-मेल से प्रेषित करे । साक्षात्कार के लिए मूल दस्तावेजों के साथ दिनांक 17.05.2026 को आस्था महाविद्यालय, पीपल्दा रोड़ इटावा कोटा में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होवे। कर्मचारियों की सेवा के नियम व शर्तें केन्द्र या राज्य सरकार की सम्बद्ध निकाय या विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार होगी।

सम्पर्क सूत्र:- 9950555967,9413128104

E-Mail:- astha.itawa@gmail.com

PRINCIPAL ASTHA MAHAVIDYALAYA ITAWA KOTA (RAJ.)

फैक्ट्री में पार्टनरशीप का झांसा देकर 41 लाख की ठगी के आरोपी को किया गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। महिला को फैक्ट्री में पार्टनरशीप का झांसा देकर लाखों की ठगी करने के दर्ज मामले में रेलवे कॉलोनी पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए शातिर आरोपी मोहम्मद फहीम को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि फरियादियां वर्ष भारती ने 2 मार्च को थाने में रिपोर्ट दी। फरियादिया ने रिपोर्ट में कहा कि भदाना निवासी मोहम्मद फईम से कोटा स्टोन कंटिंग एवं पॉलिस की फैक्ट्री में पार्टनरशिप व्यवसाय के लिये सम्पर्क किया, एवं व्यवसाय हेतु आवश्यकता होने के कारण मोहम्मद फईम की बातों में आकर उक्त फैक्ट्री को पार्टनरशिप व्यवसाय हेतु क्रय करने के लिये सम्पर्क किया तो मोहम्मद फईम द्वारा उसको एवं उसके पति को मौके पर रामगंजमण्डी रोड, सुकेत ईदगाह के पीछे स्थित दीगर व्यक्ति की फैक्ट्री को दिखाया एवं सम्पूर्ण फैक्ट्री में घुमा कर प्रार्थीया को योजनबद्ध तरीके से आश्वासन दिलवाया गया कि उक्त फैक्ट्री के मालिक से परिचय है जिससे उसे जानकारी है कि फैक्ट्री मालिक को रूपयों की आवश्यकता हेतु उक्त फैक्ट्री को विक्रय करना चाहता है। फरियादिया नें रिपोर्ट में कहा कि फैक्ट्री की विक्रय कीमत पूछने पर 32,70,000/- रूपये बताये एवं पार्टनरशिप व्यवसाय करने के लिये मोहम्मद फईम ने एक फर्म बनाते हुये करन्ट अकाउन्ट खोलने को कहा जिस पर प्रार्थीयां द्वारा वर्षा स्टोन इण्डस्ट्रीज नामक एक फर्म लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व बनवाई गई और एक करन्ट अकाउण्ट एचडीएससी बैंक में खुलवाया गया।

शहर एसपी ने बताया कि रिपोर्ट में कहा कि उक्त फैक्ट्री को क्रय करने के लिये समय-समय पर आरोपी द्वारा रकम प्राप्त की जाती रही कभी ऑनलाईन ट्रान्जेक्शन के माध्यम से एवं कभी नगद और रकम के संबध में एग्रीमेन्ट के लिये कहा तो मोहम्मद फईम ने इंकार कर दिया और उसे आश्वासन दिलाया कि फैक्ट्री मालिक से उसका पुराना परिचय है। रिपोर्ट में कहा कि सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक पार्टनरशिप व्यवसाय का आश्वासन देते हुये प्रार्थीया से कुल राशि 41.48,000 रूपये अवैध रूप से प्राप्त किये जा चुके है।

जिसकी मांग करने अभियुक्त द्वारा अदा करने से इन्कार करते हुये उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शहर एसपी ने कहा कि फरियादिया की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस कार्यवाही-शहर एसपी ने बताया कि मामले में अनुसंधान के लिये पुलिस उप अधीक्षक डॉ.पूनम चौहान के सुपरविजन में रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामरूवरूप मीणा के सुपरविजन में टीम गठित की गई।

नर्सिंगकर्मियों को किया सम्मानित

कोटा, (निसं)। वरिष्ठजन कल्याण समिति कोटा के मुख्य सलाहकार सेवानिवृत जज गजेंद्र कुमार गौड़ के मार्गदर्शन व राजेंद्र कुमार गौड़ अध्यक्ष के निर्देशन में सामाजिक सरोकारों की कड़ी में डॉक्टर संजय धाकड़ निर्देशक संजीवनी अस्पताल बोरखेड़ा, कोटा के सानिध्य में नौ नर्सिंग अधिकारियों लता, मुस्कान खान, दुलीचंद मालव, श्याम बिहारी, नरेश मालव, मुकेश मीणा, गोलू गोचर, भुवनेश आदि का समिति की ओर से माल्यार्पण व दुपट्टा ओढ़ाकर रोली-तिलक लगाकर गायत्री मंत्रों के साथ समिति के प्रचार प्रसार सचिव एसके अग्रवाल, सामाजिक सरोकार टीम के वरिष्ठ सदस्य अरुण भार्गव, डॉ.मुकेश दाधीच का विशेष सम्मान हुआ।

पीठासीन अधिकारी अविनाश चौधरी

R.H.J.S. D.J- केडर

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश छबडा, जिला बारां राज.

उत्तराधिकारीप्रमाण-पत्र पत्रावली स. 29/2025

1. इसरार मोहम्मद 2.इरफान मोहम्मद पुत्र 3.शबाना खान पुत्री मोहम्मद इस्हाक, शाहदा खातून 4. अयान इरशाद खान पुत्र 5.महिन इरशाद पुत्री इरशाद मोहम्मद 6.नजमां उर्फ नाजमां परवीन पत्नी पुत्र इरशाद मोहम्मद 7.इस्हाक मोहम्मद पुत्र गुलाब खां निवासीगण कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज.. ......प्रार्थीगण

बनाम

1. सर्व साधारण 2.शाखा प्रबन्धक महोदय, बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड छीपाबडौद छीपाबडौद, जिला बारां राज. .....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 372 भा. उत्तराधिकार. अधिनियम

वास्ते सर्व साधारण,

जो कि मृतका श्रीमती शाहदा खातून पुत्री मोहम्मद नूर पत्नी इस्हाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी छीपाबडौद जिला बारां राज. की मृत्यु दिनांक 13.9.2020 को सुधा अस्पताल तलवन्डी कोटा राज. में हो चुका है। जिनकी बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड छीपाबडौद, जिला बारां राज. मे जमा राशि HFD-A/C.No. 39005251140052868 में दिनांक 5.3.2020 तक 97,309 रूपऐ व HFD A/C.No. 39005251140052857 दिनांक 21.1.20220 तक 1,28,053 रूपऐ। एवं बचत खाता. S.B. A/C.No 39005101130006507 में दिनांक 7.2.2020 तक 3,08,325 रूपऐ जमा हैं उक्त राशि एवं ब्याज के भुगतान प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण को किए जाने का उत्ताधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का आवेदन किया प्रार्थीगण स्वर्गीय शाहदा खातून के वारिसान होने के कारण उनका वैध वारिस है प्रार्थीगण के अलावा के अलावा अन्य कोई वैध वारिस व कायम मुकाम नहीं है। प्रार्थीगण ने स्वर्गीय श्रीमती शाहदा खातून का उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अतः इस सूचना पत्र द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि उक्त मृतक श्रीमती शाहदा खातून. का उत्ताधिकारी प्रमाण पत्र प्रार्थीगण के नाम जारी किये जाने में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो दिनांक 22.5.2026 को समय 10 ए.एम.बजे न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पत्र पेश करें।

अतः दिनांक 7.5.26 को मेरे हस्ताक्षर व मुद्रा न्यायालय से जारी कर दिया जावेगा।

मोहर अदालत

न्यायालय के आदेश से अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश छबड़ा जिला बारां (राज.)

विधिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार वसीम मोहम्मद पुत्र श्री अमीर मोहम्मद के आधिपत्य एवं स्वामित्व की एक दुकान सं. 18 (बिना छत अधिकार) वाके गिता भवन रोड कोटा, जिला कोटा, राजस्थान में स्थित है, यह कि उक्त दुकान वसीम मोहम्मद को उनकी माता अजमा बेगम से जर्ये रजि. दान पत्र दिनांक 24.11.2021 से प्राप्त हुयी थी व अजमा बेगम ने उक्त दुकान का क्रय निर्मल कुमार जैन से जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 13.04.2018 से किया था। यह कि अजमा बेगम के पक्ष में निष्पादित असल विक्रय पत्र दिनांक 13.04.2018 मेरे पक्षकार से कही गुम हो गया है जिसकी गुमशुदगी कि रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दिनांक 12.05.2026 करवा दी गयी है। जिसका LR No. 3143350/2026 है। यह कि उक्त सम्पत्ति को वसीम मोहम्मद द्वारा शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाईनेंस शाखा कोटा में रहन रखकर ऋण लिया जा रहा है यह कि उक्त सम्पत्ति को रहन रखकर ऋण देने के सम्बंध में एवं असल विक्रय पत्र दिनांक 13.04.2018 के सम्बन्ध में किसी आम व्यक्ति, बैंक, या संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस के भीतर सूचित कर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

दिनांक : 12.05.2026

अजय शर्मा एडवोकेट

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सतीश जैन पुत्र अशोक जैन एवं श्रीमती रंजीता जैन पत्नी सतीश जैन, निवासीगण मकान नं. 3-आर-30, तलवण्डी, कोटा द्वारा मकान नं. 810-ए. महावीर नगर द्वितीय, कोटा को खरीदने बाबत् करार श्री हेमन्त कुमार जैन पुत्र धनपाल जैन, निवासी 810-ए, महावीर नगर द्वितीय, कोटा से किया हुआ है। उक्त प्लॉट का आवंटन नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा दिनांक 07.06.1976 श्री धनपाल जैन को किया गया था। श्री धनपाल जैन की मृत्यु दिनांक 04.08.01 को हो गई। श्री धनपाल जैन की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसान श्रीमती उमराव बाई जैन पत्नी स्व. धनपाल जैन, राजेन्द्र जैन, प्रवीण जैन, हेमन्त कुमार जैन पिसरान् स्व. धनपाल जैन उक्त सम्पत्ति के स्वामी बनें। तदोपरान्त श्रीमती उमराव बाई जैन व श्री राजेन्द्र जैन व प्रवीण जैन द्वारा उक्त सम्पत्ति के संबंध में एक रिलीज डीड श्री हेमन्त कुमार जैन के पक्ष में दिनांक 29.01.2026 को की गई. जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, कोटा में दिनांक 29.01.2026 को हो रहा है। इसके उपरान्त नगर निगम, कोटा द्वारा श्री हेमन्त कुमार जैन के पक्ष में लीज डीड जारी की गई, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, कोटा में दिनांक 04.05.2026 को हो रहा है। हेमन्त कुमार जैन द्वारा उक्त प्लॉट का असल आवंटन पत्र गुम होना बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति अथवा वित्तीय संस्था को उपरोक्त वर्णित अचल सपत्ति को बैंक ऑफ बड़ौदा में साम्यक् बंधक रखने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज हो तो वह सूचना प्रकाशन के 07 दिवस की अवधि में मुझे अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत कर दें, बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

कोटा

दिनांक : 12.5.2026

राजेन्द्र मंगल एडवोकेट

मकान नंबर 322 महावीर नगर द्वितीय कोटा राज. मो. 94148-02953

नाबालिग सें छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सुनाई सजा

कोटा, (निसं)। नाबालिग से छेड़छाड़ एवं पीड़िता के परिवार जन से मारपीट के करीब एक साल पुराने मामले में पॉक्सो क्रम-4 न्यायालय ने पकडे गये आरोपी बाप को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए तीन वर्ष एवं मारपीट मामले में बाप के साथ सहयोग करने में बेटे को दोषी मानते हुए तीन माह की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक वन्दना नागर ने बताया कि 20 मई 2025 को फरियादी ने ग्रामीण थाने में रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि 19 मई 2025 को जब काम पर चले गये तो घर में पीड़िता 10 वर्षीय नाबालिग अपने छोटे भाई व बहनों के साथ घर में थी तभी एक परिचित बुजुर्ग घर पर आया और उसकी नाबालिग बेटी को रूपये का लालच देकर उससे छेड़छाड़ करने लगा। फरियादी ने कहा कि जब इस मामले को लेकर वह छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति के पास बात करने जा रहे थे तो रास्ते में उसका बेटा मिला व उसका पिता भी मौके पर आ गया और कहासुनी हो गई जब वह वापस जाने लगा तो उसके बेटे ने रोककर पकड़ लिया एवं बाप ने उसके सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया, पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धारा में मामला दर्ज कर आरोपी बाप के साथ हमले में सहयोग करने में उसके बेटे को गिरफ्तार किया।

पश्चिम मध्य रेल

खुली निविदा सूचना

सं. ईएल/50/एनआईटी/93(2026-27)

दिनांकः 08.05.2026

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से वरि.मंडल विघुत अभियंता (सामान्य), पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा निम्नलिखित कार्यो के लिए ई-निविदा आमंत्रित करते है। **निविदा संख्याः** ईएल/50/311/2026-27, **कार्य का नामः** भवानीमंडीः अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत PF 2/3 पर HL प्लेटफार्म का प्रावधान।, **अनुमानित लागत (रू. में):** 51,27,399.01, **बयाना राशि (रू. में):** 1,02,600/-, **कार्य समाप्ति अवधिः** 06 माह, **निविदा प्रस्तुत करने एवं खुलने की दिनांक तथा समयः** 01.06.2026 को 15.00 बजे तक एवं खुलने का समय 15.15 बजे, **निविदा संख्याः** ईएल/50/312/2026-27, **कार्य का नामः** कोटा डिवीजन के प्रांगणो में प्रकाश व्यवस्था में सुधार और उसका प्रावधान (चरण-1)।, **अनुमानित लागत (रू. में):** 1,82,14,066.31, **बयाना राशि (रू. में):** 3,64,300/-, **कार्य समाप्ति अवधिः** 06 माह, **निविदा प्रस्तुत करने एवं खुलने की दिनांक तथा समयः** 01.06.2026 को 15.00 बजे तक एवं खुलने का समय 15.15 बजे। ऑफर केवल ई-टेण्डरिंग के माध्यम से वेब साईट http://www.ireps.gov.in पर स्वीकार किए जायेंगे। निविदा दाता के पास क्लास III डिजिटल सिग्नेचर सार्टिफिकेट होना चाहिए एवं आई.आर.ई.पी.एस. पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई भी निविदा मैनुएली स्वीकार नहीं है। निविदा डालने से पहले टेण्डर दस्तावेजों की स्पेशल कण्डीशन्स एवं शर्ते अवश्य पढ लें।

हस्ता.

कृते वरि. मंडल विद्युत अभियंता (सामान्य), पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

न्यू मेडिकल कॉलेज पर आज होगा प्रदर्शन, प्रहलाद गुंजल ने की तैयारी

कोटा, (निसं)। न्यू मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत व अव्यवस्थाओं के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर हुई बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा की सरकार की संवेदनाएं मर चुकी हैं लोग तकलीफ में इलाज करवाने अस्पताल जाते हैं पर अब लोग अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं वार्ड के वार्ड खाली हो रहे हैं। इससे निष्कृष्ट चेहरा इस सरकार का कोई और हो नहीं सकता लोगों का व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ गया हैं। गुंजल ने कहा कि विरोध का धर्म निभाना हमारा दायित्व है आमजन के साथ सड़कों पर उतरकर हम यह बता देंगे कि शासन की व्यवस्था के खिलाफ लोगों में गुस्सा हैं। प्रहलाद गुंजल

■ जान बचाने के लिए अस्पताल छोड़कर भाग रहे लोग-गुंजल

ने सरकार व स्थानीय जनप्रतिनिधियो को नसीहत देते हुए कहा कि जले पर नमक मत छिड़किए कोरे आंसू पहुंचने से लोगों को न्याय नहीं मिलता शीघ्र ही पीड़ितों को सरकार से कुछ राहत दिलवाइए। उन्होंने कहा कि पांच दिन से भी ज्यादा का समय बीतने के बाद भी जिम्मेदारों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। गुंजल ने कहा कि कल 13 मई सुबह 10 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता आमजन के साथ अग्रसेन धर्मशाला कोटिया भील की प्रतिमा रंगबाड़ी के पास एकत्रित होंगे व मेडिकल कॉलेज जाकर सरकार की नींद उड़ा देंगे। उन्होंने कहा कि संगठन के अन्य कई प्रमुख नेता भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रदर्शन की तैयारी को लेकर बैठक हुई इस बैठक में प्रदेश महामंत्री अनूप ठाकुर, पीसीसी सदस्य क्रांति तिवारी, प्रदेश सचिव मंजूर तंवर, सेवादल के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज दुबे ओबीसी मोर्चा के संभागीय प्रभारी अशोक नागर, शहर जिला अध्यक्ष दीपक नामदेव, देहात अध्यक्ष डॉक्टर टीकम चंद सुमन, पूर्व पार्षद इसरार अहमद, धनराज चेची, विपिन बरथूनिया, मंजू चौधरी, राधा सोनी, गजेन्द्र धाकड़, हिरदेश सक्सेना, हिमांशु शर्मा, राजेंद्र भारद्वाज, बलविंदर सिंह बिल्लू राजू पहाड़िया, हामिद गौड़, अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महेश श्रृंगी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक का संचालन हेमंत चतुर्वेदी ने किया।

प्रमुख शासन सचिव ने कोटा में जे.के. लोन एवं एमबीएस अस्पतालों का निरीक्षण किया

कोटा, (निसं)। मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में प्रसूताओं की किडनी फेल होने के मामले ने चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने जेके लोन और एमबीएस अस्पतालों का निरीक्षण किया और माना कि सुपरवाईजरी नेगलिजेंस सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि ओटी और पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल में चूक हुई है। साथ ही नर्सिंग स्टूडेंट्स के प्रशिक्षण पर भी सवाल उठाए। वहीं अस्पताल के बाहर पीड़ित परिजन 24 घंटे से धरने पर हैं। वे 50 लाख मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे है। अस्पताल में फिलहाल 5 प्रसूताएं भर्ती हैं जिनमें से कुछ की हालत में सुधार, कुछ अब भी आईसीयू में है। शासन सचिव राठौड़ ने मंगलवार को जेके लोन एवं एमबीएस अस्पतालों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने

कोटा में स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने जेके लोन और एमबीएस अस्पतालों का निरीक्षण किया, इस दौरान वह नर्सिंग स्टूडेंट से भी रूबरू हुईं।

लेबर रूम, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, आईसीयू और वेटिंग एरिया के साथ-साथ अस्पताल में तैनात डॉक्टरों, स्टॉफ नर्सों एवं मरीजों के अटेंडेंट से भी फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रसूताओं की एक के बाद एक बिगड़ती हालत ओटी और पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोटोकॉल में हुई चूक की ओर इशारा करती है। उन्होंने स्पष्ट कहा, स्ट्रांग सुपरविजन की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं दिखता। निरीक्षण के दौरान प्रमुख शासन सचिव ने एमबीएस कॉलेज का निरीक्षण भी किया। वहां प्रशिक्षणरत नर्सिंग स्टॉफ द्वारा मूलभूत चिकित्सकीय प्रक्रियाओं में दक्षता नहीं पाए जाने पर उन्होंने गंभीर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नर्सिंग स्टॉफ चिकित्सा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। उन्हें समुचित प्रशिक्षण प्रदान कर दक्ष बनाया जाए। उन्होंने संबंधित निजी नर्सिंग कॉलेज के विरुद्ध नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रशिक्षणरत नर्सिंग स्टॉफ को वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में ही कार्य कराया जाए तथा पूर्ण दक्षता एवं व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होने के उपरांत ही उन्हें अनुभव अथवा प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि यह मामला दवाओं के किसी रिएक्शन या किसी संक्रमण के कारण हो सकता है।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/422 **विज्ञप्ति** दिनांक : 11.5.2026

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञति सूचित किया जाता है कि ग्राम देवली अरब खसरा नं. 91 में स्थित कृषि भूमि योजना अमृत विहार भूखण्ड संख्या 96 आवेदक/आवेदिका श्रीमती महिषा कुमारी मीणा पत्नि श्री प्रमोद कुमार मीना एवं श्रीमती चेतना कुमारी पत्नि श्री रामावतार मीणा निवासी तालछी दीगोद कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 2562 दिनांक 04.08.2022 को श्रीमती इन्द्रा बाई मीणा पत्नि स्व. श्री फूलचन्द मीणा के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 05.09.2025 एवं पति फूलचन्द की मृत्यु दिनांक 19.11.2005 को हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान पुत्री महिषा कुमारी मीणा, चेतना कुमारी मीणा है।

अतः श्रीमती महिषा कुमारी मीणा पत्नि श्री प्रमोद कुमार मीना एवं श्रीमती चेतना कुमारी पत्नि श्री रामावतार मीणा के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुज्जर जाने के बाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/ विक्रय/2026/1056 दिनांक : 30.4.2026

नाम हस्तातंरण बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास / भूखण्ड संख्या-44 केशवपुरा-7 योजना का आवंटन के पत्र कमांक 130 दिनांक 04.07.1986 द्वारा श्री हरि सिंह पुत्र श्री घूमल सिहं को आंवटित्त किया गया था। श्री हरि सिंह के द्वारा श्री बिरधी चन्द्रगुप्ता पुत्र श्री माँगी लाल को उक्त भूखण्ड कि कार्यवाही के सम्बंध में मुख्तारआम नियुक्त किया गया मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 08.05.2001 को श्री बजरंग लाल पुत्र श्री टिकम चन्द को कर दिया गया क्रेता श्री बजरंग लाल कि मृत्यु दिनांक 30.08.2018 को हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात श्री बजरंग लाल के विधिक वारिसान के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमती कमला जैन पत्नि श्री बजरंग लाल एवं अशुक जैन पुत्र श्री बजरंग लाल के द्वारा उक्त आवास भूखण्ड का नाम श्रीमती कमला जैन पत्नि श्री बजरंग लाल एवं अशुक जैन पुत्र श्री बजरंग लाल ने अपने नाम उक्त भूखण्ड का नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृती देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास / भूखण्ड संख्या-44 केशवपुरा-7 योजना का नाम हस्तांतरण श्रीमती कमला जैन पत्नि श्री बजरंग लाल एवं अशुक जैन पुत्र श्री बजरंग लाल के नाम कर दिया जावेगा।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा की राजीव गांधी नगर स्पेशल आवासीय योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 253 का आवंटन प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 393 दिनांक 17.01. 2020 को श्रीमति सुनीता जैन पत्नि श्री अनिल कुमार जैन को आवंटन किया गया था। आवंटी श्रीमति सुनीता जैन द्वारा उक्त भूखंण्ड/आवास का जर्ये रजिस्टर्ड मुखतारआम श्रीमति कृष्णा हेमराजानी पत्नि श्री गोविन्द हेमराजानी द्वारा दिनांक 09.12.2025 को श्री मोहम्मद रफीक पुत्र श्री सलीम खान एवं श्रीमति आयशा बेगम रंगरेज पत्नि श्री मोहम्मद रफीक को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रेता द्वारा उक्त भूखंण्ड/आवास को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांन्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड / आवास संख्या 253 योजना राजीव गांधी नगर स्पेशल आवासीय योजना का नाम हस्तांन्तरण आवेदक श्री मोहम्मद रफीक पुत्र श्री सलीम खान एवं श्रीमति आयशा बेगम रंगरेज पत्नि श्री मोहम्मद रफीक के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा